08/04/21

पत्रावली वास्ते आदेश आज पेश हुई। प्रकरण में बहस वकील वादी पूर्व मे सुनी जा चुकी है। प्रकरण में वकील वादी द्वारा दिनांक 31/03/21 को बहस से पूर्व प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत वाद पत्र के उद्देश्य मे "बंटवारा" जोड़े जाने की प्रार्थना इस आधार पर खारिज

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
	की जाती है कि प्रथमतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र किसी कानूनी प्रावधान के तहत प्रस्तुत नहीं किया गया है। तथा द्वितीयतः बहस के क्रम पर जबकि वादी द्वारा बहस हेतु बार-बार समय चाहा गया है, प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रकरण में देरीना (Delay) करने वाला पाया जाता है। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकार्ड, दस्तावेजों का अवलोकन किया गया एवं बहस वकील वादी पर मनन किया गया। चूंकि वादीगण द्वारा हस्तगत वाद-पत्र खसरा, गिरदावरियों में विवादित आराजी के सम्बन्ध में अपना नाम दर्ज होना अभिकथित करते हुए प्रतिकूल कब्जा (Adverse Possession) के आधार पर प्रस्तुत किया गया है। विधिक रूप से खसरा, गिरदावरी "RECORD OF RIGHTS" की श्रेणी में नहीं आता है। अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रतिकूल कब्जा के आधार पर हस्तगत वादपत्र कानूनी रूप से पोषणीय (NOT MAINTABLE) नहीं होना पाया जाने पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय आज दिनांक 08/04/21 को मेरे द्वारा हस्ताक्षरित कर न्यायलीय मुद्रा सहित खुले न्यायालय में सुनाया जाकर जारी किया गया। (राकेश कुमार) R.A.S उपखण्ड अधिकारी खण्डेला, सीकर